संख्या-09/2020/263/जेड/6-सा-3-2020-बजट(01)/2020

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2020**

विषय: आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में की गयी यात्रा से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में की गयी नि:शुल्क यात्रा से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्राविधानित धनराशि **रू0 4,00,00,000/-** (रू0 चार करोड मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24-03-2020 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तद्नुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाले मदवार व्यय की सूचना नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भेजते हुए एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "3055-सड़क परिवहन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-04-आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

सूर्य कुमार
संयुक्त सचिव।

क्रमश: 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:09(1)/2020/ 263(1)जेड/6-सा-3--2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4-मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-12 उ0प्र0 शासन।

7-आहरण एवं वितरण अधिकारी।

8-अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सद

न, लखनऊ/मथुरा।

9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सूर्य कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।